

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोन:- 256906, 256907, फैक्स:- 01562-256908

वर्ष: 17 संख्या: 94

प्रभात

चूरू, गुरुवार 31 जुलाई, 2025

पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मूल सवाल अनुत्तरित ही रहे

प्र. मंत्री मोदी के विस्तृत उत्तर के बाद भी, विपक्ष के अनुसार, यह बात साफ नहीं हुई कि राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम कराने में कुछ भूमिका थी या नहीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। लोकसभा में दो दिन तक चली लंबी बहस और राज्यसभा में हुई दो दिन की चर्चा के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर, जो नृशंस पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, से जुड़े विपक्ष के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिल सके। सरकार द्वारा इसे “पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने” की निर्णायक कार्रवाई के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन अब यह रणनीति संदेहों, कूटनीतिक उलझनों और अस्पष्टता से घिरी हुई नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए विस्तृत एवं लम्बे जवाब के बावजूद, सरकार विपक्ष के मुख्य सवालों से किनारा करती दिखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कथित

- विपक्ष के अनुसार, उसे सुरक्षा संबंधी इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिला:
(अ) आतंकवादी पहलगाम में घुसे कैसे? और आतंकवादी हमले के बाद कहाँ गये?
(ब) क्या सभी आतंकवादी मारे गये या कुछ अभी भी घूम रहे हैं? विपक्ष तीन आतंकवादियों को मार गिराने के सरकारी दावे को स्वीकार नहीं करता।
(स) हवाई हमले में भारत के कितने लड़ाकू विमान खत्म हुए?
(द) ट्रंप के तथाकथित हस्तक्षेप के बाद, भारत द्वारा जवाबी हमला रोक देने से भारत को क्या लाभ मिला ,रणनीति की दृष्टि से।

भूमिका पर सरकार से बार-बार सवाल किये, जिन्होंने कम से कम 29 बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान संघर्षविराम (सीजफायर) में अहम भूमिका निभाई। लेकिन नई दिल्ली ने न

विपक्ष ने सरकार पर बयानबाजी एवं शब्दजाल के पीछे सच्चाई को छिपाने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का यह दावा, कि “किसी वैश्विक शक्ति ने भारत को सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं दिया”, ट्रंप के बयानों और अमेरिका सहित, अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा चिंता जताने के तुरंत बाद तनाव में आई कमी से मेल नहीं खाता। सरकार की सबसे बड़ी आलोचना उस समय हुई, जब पहलगाम आतंकी हमला, जिसे सबसे सीमा-पार द्वारा प्रायोजित माना था तथा जिसमें 26 निदोष पर्यटक मारे गए, पर न तो कोई शोक प्रस्ताव लाया गया, और न ही सरकारी स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। संसद में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके साथ ही, हमले में शामिल पांच आतंकीयों की पहचान, उनके मूल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को एक और झटका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भूमि के बदले नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला उनके 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति नौगमीकम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका निष्प्रभावी नहीं होगी। अतः अदालत ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए लालू प्रसाद की आरोप तय करने में देरी की मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त साॅलिस्टर जनरल एसबी राजू ने लालू की याचिका का विरोध करते हुए याचिका दायर

- याचिका में यह मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट पर रोक लगाई जाए, कि उक्त न्यायालय, लालू यादव के खिलाफ आरोप पत्र फाइनल न करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरोप पत्र दायर होने से लालू यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

करने के कारण उन पर जुर्माना लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया। यह दूसरा अवसर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को राहत देने से इन्कार किया है। इससे पहले 18 जुलाई को भी अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी हूए कहा है कि यह “भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा” है।

खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था और 12 अगस्त को अंतिम सुनवाई तय की थी। यह मामला 18 मई 2022 को सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा

- जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने टॉक रोड पर बीलवा स्थित सहारा ग्राहम सिटी मामले में दिए गए आदेश की पालना नहीं करने के, अवमानना के 56 मामलों में बुधवार को आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सक्सेना को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
- आयोग ने बीलवा स्थित सहारा सिटी के मामले में दिये गये आदेश की पालना नहीं करने के अवमानना के 56 मामलों में यह निर्णय सुनाया।

दिया। आयोग के न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह व मुकेश और सदस्य रामनिवास सारस्वत ने यह आदेश भारतीय माहना व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर दिया। आयोग के स्थायी गिरफ्तारी वार्ंट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नागरिकता का सबूत पेश करने की जिम्मेवारी किसकी है?’

चुनाव आयोग ने जिम्मेवारी मतदाता पर डाल दी, जबकि, पहले चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का मतदान का अधिकार छीनने से पहले कारण बताकर संतुष्ट करता था कि उस व्यक्ति का नाम मत सूची से क्यों काटा जा रहा है

- ये सेवानिवृत्त अधिकारी भारत सरकार की तीन अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य केन्द्रीय सेवाओं से हैं और संवैधानिक आचरण समूह (कॉन्स्टिट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप) से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा, “बिहार में मतदाता सूची के इस “निरर्थक” विशेष पुनरीक्षण को जारी रखना और इसे आगे चल कर देश भर में लागू करना, भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है।”
- पत्र में कहा गया है, “हम यह पत्र गहरी चिंता के साथ लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र की नींव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पर सीधा हमला हो रहा है।”
- उन्होंने आगे कहा, “यह हमला बेहद चालाकी से किया जा रहा है, जहां

मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर, मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को, खासतौर पर गरीबों और हासिए पर मौजूद लोगों को, जिनके पास

- देश के 93 रिटायर्ड टॉप अफसरों ने खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग के इस निर्णय को प्रजातंत्र के समक्ष अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया।
- पत्र के अनुसार, भारत में आज भी अधिकतर लोगों के पास दस्तावेज नहीं होते, जो यह साबित करें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हैं। कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोग तो विशेषकर इन दस्तावेजों से महरूम हैं।
- एक और अहम सवाल है जो इस पत्र में शीर्ष रिटायर्ड अफसरों ने उठाया है, क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी की भी नागरिकता किसी भी कारण से रद्द कर सकता है।

नागरिकता के पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।”

पत्र में कहा गया है, “पूर्व में चुनाव

आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने के लिये दस्तावेजों की जांच के मामले में उदार और लचीला रवैया अपनाया था, आयोग अच्छी तरह जानता था कि अधिकांश भारतीयों के पास अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिये पूर्ण दस्तावेज नहीं होते। उस समय यह मान लिया गया था कि विशेष रूप से गरीबों को सरकारी दस्तावेजों की उपलब्धता में बहुत कठिनाई होती है और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त रूप से सक्रिय उपायों की जरूरत होती है। अब यह प्रक्रिया पलट दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।”

पत्र में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लंबे समय से चले आ

रहे नियमों को उलट दिया है और अब नागरिकता सिद्ध करने का बोझ मतदाता पर ही डाल दिया गया है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने असंवैधानिक रूप से अपने अधिकारियों को किसी का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार दे दिया है।

अधिकारियों ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को यह “असाधारण स्वविवेकाधारित अधिकार” दे दिया है, जिससे मतदाता “जोड़ने या हटाने के मामलों में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ गई है।” पत्र में कहा गया है, “इस पूरी कवायद का जारी रहना तथा इसके बाद इसका पूरे देश में पहुँचना भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है और यह खतरा उस संस्था द्वारा पैदा किया जा रहा है, जिसका काम सार्वभौमिक मताधिकार व्यवस्था को मजबूत करना है। मतदाता सूची को अपडेट करना तो चुनाव आयोग का नियमित एवं सामान्य (रूटीन) कार्य है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने जयपुर की दूटी सड़कों का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर चिंता जताते हुए कहा है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या जयपुर अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी नगर बना रहेगा, या फिर अपनी ही

- सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट व चार सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करने को कहा।

बुनियादी ढांचे की कमी से दहते हुए, एक डूबते हुए शहर में बदल जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्वरेणरा से प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी, हेरिटेज और ग्रेटर नियम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ के इस्तीफे का रहस्य गहराता ही जा रहा है!

नवीनतम चर्चा के अनुसार, धनखड़ आंध्र के कांग्रेस नेताओं से मिलकर चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आये, उन्हें एनडीए छोड़ने के लिए प्रेरित करने लगे, जिससे मोदी सरकार अल्पमत में आकर गिर जाए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। हालांकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया, क्योंकि वे कांग्रेस नेताओं के साथ गुप्तचुप गेलजाल बढ़ा रहे थे और सरकार गिराने की साजिश में लगे थे। सूत्रों के अनुसार, इसके लिए धनखड़ ने कांग्रेस नेताओं की एक बैठक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के साथ आयोजित कराने की कोशिश की थी, ताकि वे एनडीए से अलग हो जाएं और संसद में मोदी सरकार अल्पमत में आ जाए। हालांकि कहा जाता है कि नायडू ने

- चंद्रबाबू नायडू ने इस “साजिश” से प्र.मंत्री मोदी को अवगत कराया और धनखड़ से इस्तीफा लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- यह भी कहा जा रहा है कि धनखड़ चाहते थे कि न्यायाधीश वर्मा के “इम्पीचमेंट” का प्रस्ताव, राज्यसभा में पारित हो, जिससे वे “इम्पीचमेंट” की कार्यवाही के लिए अपनी पसंद के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व एक वरिष्ठ जुरिस्ट का चयन खुद करते।
- पर, लोकसभा द्वारा 145 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहले पारित हो गया।

इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री मोदी को धनखड़ की योजना की जानकारी दे दी। धनखड़ संदेह के घेरे में थे, क्योंकि

उनका विभिन्न राजनीतिक दलों से नाता रहा है। वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनूं से जनता दल के सांसद रहे और 1990-91 में संसदीय

कार्य राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद 1991 में उन्होंने राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जाईन कर ली और अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे हार गए। फिर 1993 से 1998 तक वे किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक रहे। एक वरिष्ठ वकील के रूप में उन्होंने 2003 में भाजपा जाईन की और पार्टी की कानूनी समिति का नेतृत्व किया।

21 जुलाई को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ से कथित साजिश के प्रयासों पर सवाल किया। धनखड़ ने नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजिजू से शिकायत की थी कि संसद भवन से लगे उनके आवास पर आने-जाने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है और कुछ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK



CMYK